फर्द अहकाम

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी आहपुरा जिला जयपुर

बनाम

प्रकाश — तहसीलदार आहपुरा वगैरह

मुकदमा संख्या /वर्ष पटवारगिरी अपील पत्र 23 /2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.6.2023	पत्रावली आज मंहगाई राहत कैम्प किशनगढ़ मे पेश हुई वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी को सुना गया। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा कोई स्थगन आदेश की प्रति पेश नही की बल्कि प्रा० पत्र 28/12/22 को तहसीलदार आहपुरा को पेश शुदा की खारिजी फैसले की जिसमे वाद दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा० पत्र तथा वकील उभय पक्ष की बहस के बाद प्रकरण मे पटवारगिरी के आदेश दिया जाना उचित समझते है चूंकि पुरानगत आबादी का सीमांकन हो चुका है तथा आगे भविष्य मे होने वाले विवादो का हल स्थायी सीमांकन से ही सम्भव हो सकता है तथा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है जिसको पटवारगिरी करने का अधिकार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पटवारगिरी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आहपुरा को आदेशित किया जाता है कि आबादी ग्रा० 2778/1762 0.1225, 1755 0.17, 1769 0.24, 1754 0.24, 1756 0.11, 1757 0.05, 1762 0.21, 2776/1760 0.1850, 2781/1761 0.1325, 1758 0.09 वाले ग्राम खोरी शेखपुरा का खोरी तहसील आहपुरा का पैमाई कास्तकार/खातेदारो को नियमित सूचित करते हुए उनकी जमाबन्दी मे सुधार सम्बन्धित निर्णय 6.2.2023 के अनुसार पटवारगिरी करावे तदनुसार तहसीलदार आहपुरा को आदेश जारी हो।

विशेष आज कैम्प जयपुर के कार्यालय पत्रावली विचार हेतु लेना सम्भव दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी आहपुरा जिला जयपुर